>

Title: Need to increase the allocation of funds for the construction of Kapildhara wells and plantation of trees under MNREGA in Rajgarh, Madhya Pradesh.

श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़): सभापति जी, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार को मनरेगा योजना के सफल संचालन के लिए बधाई देना चाहूंगा। मैं खुद एक किसान हूं इसलिए मुझे पूरा अनुभव है कि जिस तरह मानव जीवन का वायु से अटूट रिश्ता है उसी तरह किसान का जल से रिश्ता है। मनरेगा के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बिंदु किपलधारा कूप निर्माण है, जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है, क्योंकि जो गरीब किसान रुपए-पैसों के अभाव में कूप नहीं बना सकते थे वही किसान अब मनरेगा योजना के माध्यम से अपने खेतों में खुद मजदूरी करके कूप निर्माण कर लेते हैं और मजदूरी के पैसों का भी उन्हें भुगतान हो जाता है। इसके अलावा कृषि योग्य भूमि भी सिंचित करके वे अपेक्षित लाभ अर्जित कर रहे हैं।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक और चिंताजनक बिंदु असंतुलित होते पर्यावरण की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इस बारेमें इस सदन में भी कई मर्तबा चर्चा हो चुकी है और कई माननीय सदस्यों द्वारा भी इस बारे में चिंता व्यक्त की गई है। मेरा संसदीय क्षेत्र राजगढ़ मध्य प्रदेश का पठारी क्षेत्र है, जो कि तवंरवाड कहलाता है। वह बिगड़ते व असंतुलित होते पर्यावरण के कारण धीरे-धीरे रेगिस्तान में परिवर्तित होता जा रहा है। यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है।

इस संबंध में मैं एक महत्वपूर्ण सुझाव आपके माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्री जी को देना चाहूंगा। मनरेगा योजना के कपिलधारा कूप निर्माण के साथ ही कम से कम उस हितग्राही को पांच फलदार/छायादार वृक्ष उक्त कपिलधारा कूप के संलग्न भूमि पर आवश्यक रूप से लगाने की बाबत मनरेगा योजना में प्रावधान किया जाए। साथ ही जिस हितग्राही कृषक के खेतपर उक्त कपिलधारा कूप का निर्माण हो रहा है, उस कूप के प्राक्कलन में लगभग पांच हजार रुपए का अतिरिक्त प्रावधान भी किया जाए तथा उन पांच हजार रुपयों की पांच साल की एफडी हितग्राही कृषक तथा संबंधित क्षेत्र के उद्यानिकी अधिकारी के संयुक्त नाम से की जाए। पांच साल तक यदि वे फलदार/छायादार वृक्ष भौतिक सत्यापन में जीवित पाए जाते हैं तो संबंधित हितग्राही कृषक को उस एफडी की राशि का भुगतान कर दिया जाए।